


क्रि०मि०के० न०- 337 / 2019


5/1/2021

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं सशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
गाँडा।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
गाँडा।